संख्या-40/2023/1305/77-3-2023-139एम/20

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज/सम्भल।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2023

विषय:- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद प्रयागराज को भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि में से आवश्यकतानुसार जनपद सम्भल को रू0 10,00,00,000/- भूमि क्रय हेतु हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक-2427/यूपीडा/17/1916-3/गंगा बजट दिनांक 13.07.2023 एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा के पत्रांक-2853/यूपीडा/17/लेखा/1916/गंगा-3 दिनांक 31.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सम्भल के पत्र संख्या 412/डी0एल0आर0सी0/बजट/2023-24 दिनांक 06.07.2023 द्वारा जनपद सम्भल में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का भुगतान किये जाने के लिए कोषागार के लेखाशीर्षक 8443001170000 में रू0 10.00 करोड़ (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि हस्तान्तरित करने हेतु किये गये अनुरोध एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रयागराज के पत्र संख्या-582/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0स0)/प्रयागराज दिनांक 07.07.2023 द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से कोषागार में रू0 24,62,13,263/- (रू0 चौबीस करोड़ बासठ लाख तेरह हजार दो सौ तिरसठ मात्र) की धनराशि अवशेष होने से अवगत कराते हुए रू0 22.00 करोड़ (रू0 बाइस करोड़ मात्र) की धनराशि वापस किये जाने हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जिलाधिकारी, प्रयागराज के डिपाजिट खाते में जमा अवशेष धनराशि रू0 24,62,13,263/- में से रू0 10,00,00,000/- की धनराशि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि क्रय हेतु जिलाधिकारी, सम्भल के कोषागार के लेखाशीर्षक 8443001170000 में हस्तान्तरित करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु डिपाजिट खाते में जमा अवशेष धनराशि में रू0 10.00 करोड की धनराशि जिलाधिकारी, सम्भल के कोषागार के लेखाशीर्षक 8443001170000 में तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) जिलाधिकारी, सम्भल परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा तथा शासन को यथासमय प्रेषित करेंगे।

(3) जिलाधिकारी, सम्भल का यह दायित्व होगा कि धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित करते समय व्यय की गयी धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रयागराज/सम्भल ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग उ०प्र० शासन ।
11. वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
12. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।